विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	कार्मिक
प्रश्न संख्या तारांकित	:	5143
उत्तर की तिथि	:	14—03—2022
विषय	:	लिखित परीक्षा अंक
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री पवन कुमार काजल (कांगड़ा)
संबंधित मंत्री	:	मुख्य मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि प्रदेश में प्रथम व द्वितीय श्रेणी की नियुक्तियों में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कुछ पदों हेतु साक्षात्कार के अंकों के साथ लिखित परीक्षा के अंक परिणाम में नहीं जोड़े जाते हैं; यदि हां, तो सरकार लिखित परीक्षा के अंकों को सभी पदों के परिणाम में सम्मिलित करने का विचार रखती है?	सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

....

प्रश्न संख्या तारांकित 5143 जोकि श्री पवन कुमार काजल (कांगड़ा) ने लिखित परीक्षा अंक के बारे में पूछा है तथा उत्तर हेतु दिनांक 14–03–2022 को निश्चित हुआ है, का उत्तर।

जी हाँ, यह सत्य है कि प्रदेश में प्रथम व द्वितीय श्रेणी की नियुक्तियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उन पदों हेतु साक्षात्कार के अंकों के साथ लिखित परीक्षा के अंक परिणाम में नहीं जोड़े जाते जिनकी भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में भर्ती प्रणाली अधिसूचित नहीं की गई है। ऐसे पदों पर परीक्षा स्वरूप के बारे में निर्णय लेने का अधिकार हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को उनके PROCEDURE & TRANSACTION OF BUSINESS AND PROCEDURE FOR CONDUCT OF THE SCREENING TESTS/ EXAMINATIONS & PERSONALITY TESTS ETC. RULES, 2021 में विहित है।